विजयसिंह बनाम सरकारी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
	दावा — मुक. — 55/2025	
10.10.2025	पत्रावली पेश हुई। वकील वादीगण उपस्थित। प्रतिवादी को जारी सम्मन असालतन तामील होकर लौटी है। बावजूद तामील हाजिर अदालत नहीं आने पर प्रतिवादी के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रकरण में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से चाही गई वस्तुस्थिति की तथ्यात्मक जॉच रिपोर्ट प्राप्त हो जाने से वकील वादीगण ने प्रकरण में आज ही बहस सुनी जाकर अन्तिम निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया। जिस पर वकील वादीगण की बहस एकपक्षीय सुनी गई। वास्ते निर्णय/आदेश पत्रावली दिनांक 17.10.2025 को पेश हो। (अनिल कुमार) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)	
17.10.2025	पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश हेतु पेश हुई। वकील वादीगण उपस्थित। प्रकरण में वकील वादीगण की बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। दौराने बहस वकील वादीगण ने अवगत कराया था कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 2196 से 2200, 2769/2201, 2770 से 2201 कुल किता 7 कुल रकबा 2.33 हैक्टर तन् ग्राम श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान में स्थित होकर वादीगण संख्या 1 लगायत 3 प्रत्येक 1/20–1/20 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है तथा भूमि खसरा नम्बर 2178, 856 से 859, 861, 862, 864, 865, 868, 869 कुल किता 11 कुल रकबा 5.24 हैक्टर तन् ग्राम श्रीमाधोपुर जिला सीकर के वादीगण संख्या 1 लगायत 3 प्रत्येक 1/40–1/40 हिस्से के खातेदार काश्तकार दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादीगण को अपने गांव, समाज, बिरादरी में आम बोलचाल की भाषा में वादी नम्बर 1 को विजय कुमार, वादी नम्बर 2 को सुरजभान व वादी नम्बर 3 को चन्द्रभान के नाम से पुकारते है। जबकि ... विजयसिंह उर्फ विजय कुमार व सुरजभानसिंह उर्फ सुरजभान तथा रामचन्द्र पुत्र अर्जूनसिंह उर्फ चन्द्रभान वादीगण संख्या 1 लगायत 3 एक ही व्यक्ति है। वादीगण के पिता का स्वर्गवास होने पर वादीगण की पैतृक कृषि भूमियों का विरासत का नामान्तकरण कार्यवाही के दौरान वादी नम्बर 1 का नाम विजय कुमार व वादी नम्बर 2 का नाम सुरजभान व वादी नम्बर 3	

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.12.10 13:21:27 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
	[illegible] नाम [illegible] दर्ज हो गया जबकि वादीगण के समस्त शैक्षणिक [illegible] एवं अन्य सरकारी दस्तावेजो मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, जनआधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड इत्यादि सभी मे वादी संख्या 1 का नाम विजयसिंह, वादी संख्या 2 का नाम सुरजभानसिंह व वादी संख्या 3 का नाम रामचन्द्रसिंह दर्ज है। वादीगण के नामो मे भिन्नता होने से वादीगण को अलग-अलग व्यक्ति समझे जाते है तथा वादीगण को सरकारी सुविधाओ से भी वंचित रहना पड रहा है। जिससे वादीगण को काफी परेशानी हो रही है। वादीगण ने अपनी उक्त कृषि भूमियो पर कृषि ऋण कार्ड बनाने हेतु पटवारी हल्का से सम्पर्क करने पर वादीगण को उक्त राजस्व अभिलेख में वादीगण के नाम गलत अंकन होने की जानकारी होने पर नाम दुरूस्त कराने हेतु तहसीलदार श्रीमाधोपुर से निवेदन किये जाने पर तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने न्यायालय मे चाराजोही करने बाबत कहने पर वादपत्र पेश करना आवश्यक हुआ है। प्रकरण में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से चाही गई वांछित रिपोर्ट भी न्यायालय में प्राप्त हो चुकी है। जिसमें तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने भी अपनी जॉच रिपोर्ट में अवगत कराया है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 2196 से 2200, 2769/2201, 2770 से 2201 कुल किता 7 कुल रकबा 2.33 हैक्टर तन् ग्राम श्रीमाधोपुर जिला सीकर मे स्थित होकर वादीगण संख्या 1 लगायत 3 प्रत्येक 1/20-1/20 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है तथा भूमि खसरा नम्बर 2178, 856 से 859, 861, 862, 864, 865, 868, 869 कुल किता 11 कुल रकबा 5.24 हैक्टर तन् ग्राम श्रीमाधोपुर जिला सीकर के वादीगण संख्या 1 लगायत 3 प्रत्येक 1/40-1/40 हिस्से के खातेदार काश्तकार दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त नाम जरिये विरासत नामान्तरकरण संख्या 390 दिनांक 22.1[illegible] द्वारा जरिये विरासत अर्जुनसिंह के फौत [illegible] विजयसिंह उर्फ विजय कुमार व सुरजभानसिंह उर्फ सुरजभान तथा रामचन्द्रसिंह उर्फ चन्द्रभान पुत्र अर्जुनसिंह [illegible] जाति जाट दोनों नाम एक ही व्यक्ति के है तथा उक्त नाम व वल्दियत के नाम से अन्य कोई व्यक्ति नहीं होने से नाम दुरूस्त किये जाने की अभिशंषा तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने अपनी रिपोर्ट मे की है। प्रकरण में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.12.10 13:21:27 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए

[illegible] जॉच रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर वकील वादीगण ने प्रकरण में [illegible] सुनी जाने का निवेदन किया।

वकील वादीगण के निवेदन पर वकील वादीगण की बहस एकपक्षीय सुनी गई। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्राप्त जॉच रिपोर्ट व संलग्न दस्तावेजात नामान्तकरण संख्या 390, जमाबन्दी सम्वत् 2074–2077, 2054–2057, आधार कार्ड की प्रति, जन आधार कार्ड की प्रति, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र, परिवार राशन कार्ड की प्रति, रिपोर्ट पटवारी हल्का श्रीमाधोपुर व तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट इत्यादि का अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 2196 से 2200, 2769/2201, 2770 से 2201 कुल किता 7 कुल रकबा 2.33 हैक्टर तन् ग्राम श्रीमाधोपुर जिला सीकर में स्थित होकर वादीगण संख्या 1 लगायत 3 प्रत्येक 1/20–1/20 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है तथा भूमि खसरा नम्बर 2178, 856 से 859, 861, 862, 864, 865, 868, 869 कुल किता 11 कुल रकबा 5.24 हैक्टर तन् ग्राम श्रीमाधोपुर जिला सीकर के वादीगण संख्या 1 लगायत 3 प्रत्येक 1/40–1/40 हिस्से के खातेदार काश्तकार दर्ज राजस्व रिकार्ड होना प्रकट होता है। वादीगण का उक्त नाम जरिये विरासत नामान्तकरण संख्या 390 दिनांक 22.12.1998 के द्वारा जरिये विरासत अर्जुनसिंह के फौत होने पर दर्ज रिकार्ड हुआ है। विजयसिंह उर्फ विजय कुमार व सुरजभान सिंह उर्फ सुरजभान तथा रामचन्द सिंह उर्फ चन्द्रभान पुत्र अर्जुनसिंह समस्त जाति जाट दोनो नाम एक ही व्यक्ति के है तथा उक्त नाम व वल्दियत के नाम से अन्य कोई व्यक्ति नहीं होने से नाम दुरूस्त किये जाने की तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने अपनी रिपोर्ट में अभिशंषा की है। जबकि पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात [illegible] राशन कार्ड, आधार कार्ड, जन आधार [illegible] जारी मतदाता पहचान पत्र मे भी वादीगण का सही नाम विजयसिंह उर्फ विजय कुमार व सुरजभान सिंह उर्फ सुरजभान तथा रामचन्द सिह उर्फ चन्द्रभान पुत्र अर्जुनसिंह समस्त जाति जाट सा. देह खातेदार

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.12.10 13:21:27 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
[illegible] (सीकर)

हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

विजय सिंह बनाम सरकार

तारीख हुक्म

अंकित होना प्रकट होता है। जिसे दुरूस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्राप्त जॉच व अभिशंषा रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय के विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र अन्तर्गत धारा–88 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 का न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर स्वीकार किया जाकर वादपत्र को डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि विजयसिंह व सुरजभान सिंह तथा रामचन्द्र सिंह उर्फ चन्द्रभान समस्त पुत्रगण अर्जूनसिंह समस्त जाति जाट घोषित किया जाकर दुरूस्त किये जाने की स्वीकृति दी जाती है। तदनुसार दुरूस्ती किये जाने हेतु तहसीलदार श्रीमाधोपुर को तहरीर आदेश जारी हो। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.12.10 13:21:27 IST
Reason: SelfAttested

यह निर्णय आज दिनांक 17.10.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)